

उप जिला कलक्टर  
बामनवास (जिला-स०मा०)

7/13 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पद 350 / वरस  
वकील उमय पद पर मन्त्र किया गया। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व  
रिकार्ड जमावेंदी शवत 2071-74 वाले ग्राम मीना  
डीकरी लक्ष्मील बामनवास के अनुसार विवादि  
भूमि आ. ख. नं 388, 260, 321, 324, 330, 347  
389, 401, 405, 549, 596, 437, 736 और सायल  
नं. 2 श्री रामसहाय 510 रामफुल जाति मीना निवासी  
मीना डीकरी लक्ष्मील बामनवास के नाम राजस्व  
रिकार्ड में खातेदारी भूमि दर्ज होना सिद्ध है।  
जिसके कारण और सायल को जरिये अस्वाइ  
निषेधना से बाध किया जाना न्याय उचित नहीं  
समझता है। तथा किसी भी खातेदारी भूमि पर  
सायल को स्वगन आदेश लेना उचित नहीं है।  
अतः सायल का प्रथम पत्र जरिये अस्वाइ  
निषेधना स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फेसल  
भूमि लेकर बाड लक्ष्मील दफ्तर दारिकल की  
जावे। मूल नं. 2 पत्रावली दावे की पत्रावली के  
साथ संलग्न रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 07-11-2019 को  
रुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर  
बामनवास (जिला-स०मा०)

